नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय सेक्टर - 19 अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

क्रमांक /00/ MSD00009012 /फायर सर्विस / एन॰ओ॰सी॰ / 2023 / महासमुंद

दिनांक : 18/07/2023

प्रमाणित किया जाता है कि श्री RAJESH KUMAR TIWARI के परिसर MAHARISHI VIDYA MANDIR MACHEWA POST - BAMHANI, DISTRIC - MAHASAMUND (C.G.) 493445 में स्थित MAHARISHI VIDYA MANDIR MACHEWA MAHASAMUND का इस विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री दीपांकुर सामुएल नाथ द्वारा श्री राजेश कुमार तिवारी की उपस्थिति में दिनांक 13/07/2023 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV 2016 के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव संबन्धित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया एवं संतोषजनक पाया गया। अतः निम्न शर्तों के अधीन एक वर्ष अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

1. सभी अग्नि सुरक्षा से संबन्धित उपकरण/प्रणाली, निकास द्वार व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
2. अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
3. अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का माक ड्रिल कर इसका रिकार्ड बना कर रखा जावे।
4. बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।
5. मकान मालिक/कबजाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।
6. अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से MAHARISHI VIDYA MANDIR MACHEWA MAHASAMUND में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की ज़िम्मेदारी पूर्णतः RAJESH KUMAR TIWARI की होगी जिसके लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छत्तीसगढ़ की कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी।
7. निरीक्षण टीम की अनुशंसा पर वाटर रिसोर्स बढ़ाने एवं दूसरी बिल्डिंग में भी फर्स्ट एड होस रील सिस्टम लगाने की शर्त पर एन.ओ.सी प्रदान की जाती है। यदि निरीक्षण टीम के इस निर्देश का पालन, पत्र जारी दिनांक के तीन माह के भीतर नहीं किया गया तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।

निदेशक
ट्रेनिंग आपरेशन
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ
नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा, छत्तीसगढ़

जारी दिनांक : 18/07/2023

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

This is system generated NOC. No signature is required.